सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

17 अप्रैल 2018

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

सेवा में,

श्री अजित कुमार मिश्र,

एडवोकेट

6/550 विकास नगर, लखनऊ

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ,के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 21.03.2018 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया था, जिसे इस विभाग को 21.03.2018 को प्राप्त हुआ।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 5 पर मांगी गई जानकारी अघोहस्ताक्षरित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री अमित तेलांग, निर्देशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव), IFS

उपसचिव (चीन और कोरिया), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

IPO/226/RTI/MEA/18. Re. 10

438/2018

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।

988
21.08.2018

विषय– आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

आवेदक निम्नलिखित वांछित सूचना आपके समक्ष रख रहा है:–

1 यह कि मेहदौना स्टेट का विलय अयोध्या स्टेट में किस तिथि को हुआ, उस समय के तत्कालिक राजा का नाम व अभिलेख सहित सूचित करें। MHA

2. भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार किस व्यक्ति को अयोध्या राजवंश के उत्तराधिकारी/वंशज की मान्यता दे रही है और देने का आधार क्या है। MHA

3. क्या विमलेन्द्र मोहन मिश्र स्वयं को अयोध्या राज्य का बिना किसी तथ्य सबूत के अयोध्या राज्य का राजा/वंशज कहते हैं और क्या भारत सरकार इन्हें विधिक रूप से अयोध्या राज्य का वंशज मानती है। MHA

4– क्या अयोध्या राज्य के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में प्रिवी काउंसिल का कोई निर्णय है। निर्णय की प्रति वाद सं0 सहित सूचित करें। US(EW)

5 क्या विमलेन्द्र मोहन मिश्र ने स्वयं को गलत तथ्य के आधार पर अयोध्या के राज परिवार के वंशज बताते हुए कोरिया से आर्थिक लाभ प्राप्त किये? US (JK)

अतः आपसे निवेदन है कि आप आवेदक को उल्लेखित वॉछित सूचना अधिनियम में प्रावधानित निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति हेतु रु. 10 मूल्य का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या–43F 700759 जारीकर्ता डाकघर हाइकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ संलग्न कर रहा है।

स्थान–लखनऊ
सलग्नक–आई.पी.ओ. रु. 10 मूल्य (मूल रूप में)
दिनांक– 14/03/2018

Ajeetjay
आवेदक

अजीत कुमार मिश्र
एडवोकेट
6/550 विकास नगर,
लखनऊ
मो–7668446911

→ MHA (in r to)
→ Please specify Query No 4 for US(EW)
→ Query No 5 for US(JK)

2/3

2/3